सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित एनसीएलटी नियमन, 2016 के नियम 38 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से सूचना

माननीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ,
नई दिल्ली बेंच–III, नई दिल्ली के समक्ष

मैसर्स रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम
मैसर्स पीएसए इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
सी.पी.सं.11/एनडी/2022 में आई.एन. सं.5773 (आईबी) /2022

सेवा में ,
1. रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
इसके निदेशक श्री राज कुमार के माध्यम से
पंजीकृत पताः 314, एफ/एफ, पॉकेट–डी, मयूर विहार पीएच–2, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110091
यहां भीः 314, पहली मंजिल, पॉकेट–6, मयूर विहार पीएच–III,पूर्वी दिल्ली–110096
यहां भीः जीएच–5बी, सेक्टर–16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन)
उत्तर प्रदेश–201318, ईमेलः KBNOS@HOTMAIL.COM

चूंकि, श्री प्रभात रंजन सिंह, **पीएसए इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड** के भूतपूर्व परिसमापक पेशेवर,ने दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 60(5) के साथ पठित धारा 5(13)के तहत **आई.एन. सं.5773 (आईबी) /2022** से युक्त एक आवेदन दायर किया है और इसलिए, माननीय एनसीएलटी, बेंच–III, नई दिल्ली ने आपको दिनांक 04.04.2024 को उपरोक्त सहित संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 04.04.2024 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी, बेंच–III, नई दिल्ली ने अधोहस्ताक्षरी को स्थानापन्न सेवा के माध्यम से आपको प्रेषिती की सेवा करने की अनुमति दी है।

ध्यान रहे कि उपरोक्त शीर्षक वाले मामले को अब दिनांक **02.05.2024** को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, **बेंच–III, नई दिल्ली** के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आप या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पेश हो सकते हैं।

ध्यान दें कि उल्लिखित दिन आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई होगी और निर्णय किया जाएगा।

श्री प्रभात रंजन सिंह
पीएसए इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के
भूतपूर्व परिसमापक पेशेवर

पैटबैक बिजनेस लिमिटेड

सीआईएनः L74999DL1984PLC018747
पंजीकृत आफिस :दुकान नंबर 325, प्लॉट नंबर 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर , सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 फोन नंबरः 011–27860681
ईमेल आईडीः crazypricingdel@gmail.com | वेबसाइटः www.patback.in

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के उद्धरण

(लाख रुपये में)

क्रं सं	विवरण	तिमाही खत्म	वर्ष दर दिनांक आंकड़े समाप्त	पिछले वर्ष समाप्त हुए संगत 3 महीने
		31.03.2024 (ऑडिटेड)	31.03.2024 (ऑडिटेड)	31.03.2023 (ऑडिटेड)
1	संचालन से कुल आय	142.47	611.18	35.63
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहले)	6.40	1.11	28.58
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	6.40	1.11	28.58
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	5.31	0.02	21.10
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है]	5.31	0.02	21.10
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1024.80	1024.80	24.80
7	अन्य इक्विटी जैसा कि वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है	73.14	73.14	8.99
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10/– रु.) (जारी और बंद परिचालन के लिए)			
	(1) बेसिक	0.08	0.00	8.51
	(2) तरल	0.08	0.00	8.51

नोटः 1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप यहां कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणाम की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और बोर्ड द्वारा 16 अप्रैल, 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।
3. वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत इंडस्ट्रीज–एएस नियमों (संशोधित) के साथ पढ़ा जाता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
पैटबैक बिजनेस लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांकः 16.04.2024 **पवन कुमार मित्तल (निदेशक)**
स्थानः नई दिल्ली **डीआईएनः 00749265**

फॉर्म नं. आईएनसी–26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार,क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
बी–2 विंग, 2वीं तल पं.दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,नई दिल्ली–110003 के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
सान ग्लोबल लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय सी–56/18, सेक्टर 62 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201307 में है, के मामले में

___ याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत **केंद्र सरकार** को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश"से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली" में** बदलने में सक्षम बनाने के लिए **शुक्रवार 29, मार्च, 2024** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, **उत्तरी क्षेत्र,** बी–2 विंग, 2वीं तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए.

पंजीकृत कार्यालयः सी–56/18, सेक्टर 62 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201307

सान ग्लोबल लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/–
अमित सेहगल,
दिनांकः 29.03.2024 निदेशक
स्थानः नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **डीआईएन : 01206938**

सार्वजनिक सूचना

हम आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, आप, आम जनता को नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के बारे में सूचित करना चाहते हैं जो लोन नंबर 864707 और 923002 में हमारे ग्राहक **श्री अर्जुन सिंह, श्रीमती नीलम, मेसर्स अर्जुन ट्रेडर्स** द्वारा गिरवी रखे गए है, खो गया है।

खोए/गुम मूल शीर्षक दस्तावेजों का विवरणः

दस्तावेज	पृष्ठों की संख्या
नोटिस डीड की प्रति उक्त संपत्ति के संबंध में नीलम और अर्जुन सिंह के पक्ष में अनिल कुमार और सुदीक्षा देवी द्वारा निष्पादित मूल बिक्री विलेख दिनांक 04.12.2018, दस्तावेज संख्या 13436, पुस्तक सं.I, वॉल्यूम सं. 7394, पेज नं. 174–184, दिनांक 04.12.2018 (एसआर–I, नई दिल्ली) के रूप में विधिवत पंजीकृत।	14 पृष्ठ
मूल स्वीकृति पत्र	03 पृष्ठों
मूल ऋण समझौता	पूरा सेट
आवेदन फार्म	04 पृष्ठ
एमओई	2 पृष्ठ

यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त दस्तावेज मिलते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे उन्हें नीचे दिए गए पते पर हमें वापस कर दें।
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज –IV, गुड़गांव–122015 और शाखा कार्यालय "प्लॉट नंबर 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली"
दिनांकः 17 अप्रैल, 2024 **हस्ता/**
स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

varthana
वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में मैसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि तीसरी मंजिल, आवटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043 वेबसाइटः www.varthana.com, ईमेलः care@varthana.com, फोनः 080–68455777, शाखा कार्यालयः यूनिट नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, प्लॉट बी 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **मैसर्स वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में दिल्ली, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित 13(12) ने दिनांक 22–01–2024 को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें ऋण खाता संख्याः **19DEL-DEL-008205, U21DEL DEL-017637, U22DEL-DEL-020026, U23DEL023219** में आवेदकों/सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं **1. मैसर्स. नाम चेतना एस.आर. एसईसी स्कूल,** इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राम बधरा, जिला भिवानी, हरियाणा – 127308 **2. मैसर्स नम चेतना शिक्षा समिति,** इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राम बधरा, जिला भिवानी, हरियाणा – 127308। **3. श्रीमती बीरमती, पत्नी राजेंद्र कुमार,** मकान नंबर 258, बड़हरा गांव, भिवानी, हरियाणा – 127308 को बुलाया गया एवंम उक्त नोटिस में **रुपये की राशि . 1,12,03,022/. (एक करोड़ बारह लाख तीन हजार बाईस रुपये मात्र) 22–01–2024** तक, भुगतान की तारीख तक, मांग नोटिस में उल्लिखित विवरण के अनुसार, आकस्मिक व्यय, लागत और अन्य शुल्क आदि के साथ ब्याज की सहमत संविदात्मक दर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

हालाँकि, उपरोक्त आवेदक/सह–आवेदक/बंधककर्ता ब्याज/अन्य शुल्कों के साथ पूरी राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से आवेदकों/सह–आवेदकों/बंधककर्ता को और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी. **मेसर्स वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली शाखा** ने इस दिन सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **15–04–2024** को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से आवेदकों/सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन मेसर्स वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आगरा को **15–04–2024** को **रु. 1,17,03,919/–(रुपये एक करोड़ सत्रह लाख तीन हजार नौ सौ उन्नीस मात्र)** की राशि के लिए सहमत संविदात्मक ब्याज दर के साथ, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब तक कि आकस्मिक व्यय, लागत और अन्य शुल्कों के साथ भुगतान की तारीख से शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदकों/सह–आवेदका/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जिसका माप क्षेत्रफल 13 कनाल 0 है, 26 केनाई 5 में से 119/240 का हिस्सा बना, खसरा नंबर **62//1212 (0-16), 18/2(3-17), 19 (8-0), 20/1(0-16), 21/2(0-16), 22(8-0), 23/1(4-0)** खेवट संख्या 85 खतौनी संख्या 97 संपत्ति ग्राम–बढ़रा, तहसील बढ़हरा, जिला दादरी में स्थित है और इसकी सीमा निम्नानुसार है। **पूर्व में :** कृषि भूमि द्वारा **पश्चिम में :** कृषि भूमि **उत्तर में :** दिगावा रोड **दक्षिण में :** कृषि भूमि
दिनांक : 18-04-2024, स्थानः गांव- बाधरा जहानाबाद बीदई हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all that my client, **Mr. Rajiv Kumar Sood S/o Late Dev Raj Sood, R/o C-5/40, Safdarjung** Development Area, New Delhi, solemnly declare as hereunder: *"I have never had any involvement in the affairs of Partnership firm in the name and style of M2A & Co. established by the partners namely: **i.** Mrs. Monika Arora W/o Mr. Ajay Arora, R/o RZ 18, & 19, Dayal Sir Road, Shakur Bazar Road, Uttam Nagar, West Delhi and proprietor of M/s. Jessica Life having its office at 1st Floor, B-6/2, Om Vihar, Uttam Nagar. **ii.** Mrs. Suresh Wati Grewal W/o Sh. Karambir Singh, and mother of Mr. Sukhdev Grewal R/o WZ-57, Janak Puri, B-1, New Delhi and shall not be liable for any act done by the said partnership firm at any point of time and is also unaware of any other firms where his name may have been included without his consent."* The public at large is hereby notified accordingly and urged to exercise caution while dealing with the said partnership firm and persons.
Issued in Public Interest.
Oum Law Associates.

equitas
इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
(पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड)
रजिस्टर्ड कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु-600 002

कब्जा सूचना (धारा 8(1) के तहत-अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी। संबंधित कर्जदार कथित राशि का भुगतान करने में असफल रहे अतः एतद्वारा कर्जदारों, जमानतियों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सीजेएम बारां द्वारा पारित मुकदमा प्रतिभूतिकरण 12/22 आदेश दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से नीचे वर्णित सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से संबंधित कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा अनुसूचित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित संबंधित राशि के लिए मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटरों का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जे की तिथि
1	शाखा : टोंक लोन नं. : **SEIBTNK0368668** कर्जदार : 1. श्री जगदीश मीणा 2. श्रीमती शिमला देवी	गैर-कृषि संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय संपत्ति, पट्टा मिसाल नंबर 09, ग्राम धुवाकलां, पी.एस. देवली, जिला टोंक, (राजस्थान) में स्थित क्षेत्रफल क्रमशः 99.00 वर्ग गज / 891.00 वर्ग फीट, सभी वर्तमान और भावी अधिरचना के साथ। उक्त संपत्ति के चार कोने : उत्तरः श्री मोहन लाल पुत्र श्री मोतीलाल मीना, दक्षिणः श्री कैलाश पुत्र श्री मोतीलाल मीना, पूर्वः श्री लादू बैरवा, पश्चिमः आम रास्ता, माप क्षेत्र 99.00 वर्ग गज/891.00 वर्ग फुट, टोंक के उपपंजीकरण जिले और टोंक के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित,	16-12-2023 तथा रु. 253817	15-04-2024
2	शाखा : चित्तौड़गढ़ लोन नं. : **SECITOR0192410** कर्जदार : 1. श्री रेवन्त सिंह चुंडावत 2. श्रीमती मीना कंवर चुंडावत	गैर-कृषि संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय संपत्ति हैं, आराजी नंबर 269, मकान नंबर 46, ग्राम गोपाल पुरा, ग्राम पंचायत गोपाल पुरा पंचायत समिति और तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में स्थित, माप क्षेत्रफल 1680 वर्ग फुट, उस पर सभी वर्तमान और भावी अधिरचना के साथ। उत्तरः मंगल सिंह, दक्षिणः छीतर सिंह, पूर्वः शक्ति सिंह, पश्चिमः पड़त, मापः 1680 वर्ग फुट, बेगूं के उप-पंजीकरण जिले और चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है	21-06-2021 तथा रु. 387224	16-04-2024

स्थान : राजस्थान, तिथि : 18.04.2024, अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

HeroHousing Finance
हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 09–मई–2024 (ई–नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय–भुगतेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पास 08–मई–2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधार कर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी (रियों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि / तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनागत/भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HHFDELHOU20000007543 HHFDELIPL20000007544	हरेन्द्र पुत्र जगदीश, रजनी देवी	19/07/2023 रु. 7,28,304/– 17/04/2024 के अनुसार	(भौतिक)	रु. 4,50,000/-	रु. 45,000/-
संपत्ति का विवरण : डीडीए निर्मित स्वामित्वधारक फ्लैट नंबर 539, जो तृतीय तल पर, जनता श्रेणी के अंतर्गत, ब्लॉक–9, पॉकेट–11, सेक्टर ए–6, नरेला आवासीय योजना के लेआउट प्लान, नरेला, दिल्ली–110040 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 18.00 वर्ग मीटर है।					
HHFNSPHOU20000010483, HHFNSPIPL20000010484	हिमांशु शर्मा, विमलेश शर्मा	16/03/2023 रु. 24,73,785/- 17/04/2024 के अनुसार	(भौतिक)	रु. 13,50,000/-	रु. 1,35,000/-
संपत्ति का विवरण : फ्लैट नंबर– एफएफ–2, एमआईजी, प्रथम तल, छतअधिकारों के बिना, अग्रदिशा में बायें हाथ की ओर, जिसमें एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो शौचालय, एक रसोई और बालकनी है, जिसका पूरा कवर्ड क्षेत्रफल 484 वर्ग फुट अर्थात् 44.96 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट नंबर सी–1/65, डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम लोनी, परगना और तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर– 12 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व– प्लॉट नंबर सी–1/64, दक्षिण– अन्य का फ्लैट, पश्चिम– फ्लैट नंबर एफएफ–1 (एचआईजी)।					
HHFGURHOU21000015190, HHFGURLAP21000016427	बिंदु बाला, कमलेश गुप्ता	29/05/2023 रु. 33,74,511/- 17/04/2024 के अनुसार	(भौतिक)	रु. 26,25,000/-	रु. 2,62,500/-
संपत्ति का विवरण : आवासीय फ्लैट, प्राइवेट नंबर–202, प्रथम तल पर, कवर्ड एरिया 520 वर्ग फुट, जिसमें एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो शौचालय, एक रसोईघर, सामने की बालकनी, और स्टिल्ट ग्राउंड फ्लोर पर एक कार पार्किंग (छतअधिकारों के बिना), मकान नंबर 720/5 के नीचे के हिस्से में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ, (नया एमसीजी नं.–1394) अभिमापन 200 वर्ग गज, जो पटेल नगर, गुरुग्राम में स्थित, एमसी. क्षेत्र गुरुग्राम, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा–122001 के अंदर। पूर्व– सड़क 16 फुट, पश्चिम– फ्लैट नं. 203, उत्तर– फ्लैट नं. 201 एवं उपमार्ग, दक्षिण– रमेश गुप्ता का मकान नंबर 719/5					

नियम एवं शर्तें : ई–नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 9–मई–2024 (ई–नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे के उपरांत 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी। इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अथवा "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से धराज राशि जमा करें। ई–नीलामी के समापन के उपरांत असफल बोलीदाताओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी। ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें :
1. ई–नीलामी "जैसी है जहां है आधार" और "जैसी है जो है आधार" और "वहां जो कुछ भी है आधार" और "बिना किसी संसाधान आधार" पर आयोजित की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/– (रुपये पंद्रह हजार मात्र) होगी। 3. ई–नीलामी, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर : 07961200576/544/594 /596/531/583/569, 6351896643 और ई–मेल support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जाएगी। 4. वहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जो कि प्रतिभूत लेनदारों की जानकारी में है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के ऋणभारों, संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का गठन नहीं करता है और न ही गठन करता हुआ माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगा। ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है : www.herohousingfinance.com. 6. संपत्ति के विवरणों और संपत्ति के दौरे के लिए श्री हरि राजावत / hari.rajawat@herohfl.com / 9828677772 से संपर्क करें। 7. संभावित बोलीदातागण, पूर्वानुमति प्राप्त करके 02–मई–2024 को मध्या. 11.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य संपत्ति का निरीक्षण कर सकते है।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु 15 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त संवर्णित ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरगणें को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट यथा **www.herohousingfinance.com** पर उपलब्ध लिंक **https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice** का संदर्भ ग्रहण करें।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 18–04–2024 **श्री सुनील यादव, मोबाइल– 9818840495**
स्थान : दिल्ली **ईमेल : assetdisposal@herohfl.com**

प्रपत्र 'ए'
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06–10–2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2010PTC209162
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्यालय – 314, एफ/एफ, पाकेट–डी, मयूर विहार फेज–II, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110091, भारत प्रशा. कार्यालय – फ्लैट नंबर 153, पाकेट ए, भू तल, मयूर विहार फेज–II, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110091, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	15–04–2024 (आदेश आईआरपी को 16–04–2024 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	13–10–2024
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**श्री मोहित गोयल** **रजि. नंबर :** IBBI/IPA-001/IP-P02395/2021-22/13636 **एएफए वैधता :** 28–05–2024 तक
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	17, एलजीएफ, डिफेंस एन्क्लेव, विकास मार्ग, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110092 ई–मेल : camohitgoyal@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	17, एलजीएफ, डिफेंस एन्क्लेव, विकास मार्ग, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110092 ई–मेल : rudracirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	30–04–2024
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	होम बायर्स
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. श्री सतीश कुमार चुघ** **रजि. नंबर :** IBBI/IPA-003/IP-N00270/2020-21/13196 **पता : 111–बी, पाकेट–एफ,** मयूर विहार फेज–II, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110091, **2. सुश्री जयन्ति जैन** **रजि. नंबर :** IBBI/IPA-001/IP-P01559/2018-19/12426 **पता : 202–एच, द्वितीय तल, पारस बाजार, गली घंटे वाली, चांदनी चौक,** नई दिल्ली–110006 **3. श्री अतुल मित्तल** **रजि. नंबर :** IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762 **पता : 174, बालको अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 58, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज,** दिल्ली–110092,
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) एआर का विस्तृत विवरण क्रमांक 13 में दिए उनके संबंधित पते पर उपलब्ध है

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **15–04–2024** को **मैसर्स रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे, मय प्रमाण, **30–04–2024** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावे, मय प्रमाण, केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे, मय प्रमाण, दस्ती, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी श्रेणी के साथ संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसाकि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, संबंधित श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए में निर्दर्शित करेगा (लागू नहीं)।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता./–
तिथि : 18–04–2024 **मोहित गोयल**
स्थान : दिल्ली रजि. नंबर : **IBBI/IPA-001/IP-P02395/2021-22/13636**

एलोफिक इंडस्ट्रीज लिमि.
(CIN: -U74999HR1973PLC070262)
पंजी. कार्यालयः 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)
ईमेल fbd@elofic.com,
वेबसाइटः www.elofic.com
आईईपीएफ में लाभांश एवं इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये शेयर धारकों को सूचना

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकार (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं रिफंड) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) (सामूहिक रूप से नियमावली वर्णित) के अनुपालन में कम्पनी को ऐसे सभी शेयर धारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना है, को शेयरों के अंतरण की नियत तिथि से तीन माह पूर्व उन्हें सूचित करना तथा समाचार पत्रों में सूचना को प्रकाशित कराना होता है।

नियमावली में ऐसे लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित करने का प्रावधान है जिसके लिये सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है तथा साथ ही ऐसे सभी शेयरों को अंतरित करने का भी प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। तदनुसार वित्त वर्ष 2016–17 के लिये कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से शेयरधारकों द्वारा दावा–रहित रहा है, अब नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संबंधित शेयरों के साथ 28 अक्टूबर 2024 को आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत है। अतः शेयरधारकों से आग्रह है कि अपने बकाया लाभांश का दावा करें।

इस संदर्भ में वांछित सूचना यथाशीघ्र जहां तक संभव हो संबंधित शेयरधारकों को भेजी जा रही है। पुनरू कम्पनी ने आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत शेयरों तथा शेयरधारकों के पूर्ण विवरणों को अपनी वेबसाईट (www.elofic.com) पर अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से आग्रह है कि दावा–रहित लाभांश के विवरणों की जांच एवं सत्यापन कर लें तथा 30 जून, 2024 तक दावा–रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें।

आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण कर देने के बाद ऐसे शेयरों पर उपचयित भविष्य के सभी लाभों तथा लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण में क्रेडिट हो जाएंगे। फिर भी शेयरधारक प्रपत्र आईईपीएफ–5 (वेबसाईट www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध में आईईपीएफ प्राधिकरण के पास ऑनलाइन आवेदन कर तथा उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास आईईपीएफ–5 में वर्णित अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रति के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसकी भौतिक प्रति जमा कर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दावा–रहित लाभांश तथा शेयरों को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयर धारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, ध्यान रखें कि अंतरण के लिये कम्पनी मूल शेयर प्रमाणपत्र की जगह नवीन शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा डिमैट पद्धति में उसे बदलने तथा आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों को अंतरित करने के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतरू रद्द हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जाएंगे। डिमैट पद्धति में धारित शेयरों के लिये कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के साथ शेयरों के अंतरण को प्रॉसेस करेगी। शेयरधारक पुनरू ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी द्वारा नवीन शेयर प्रमाण पत्रों को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि 30 जून, 2024 तक संबंधित शेयर धारक से कम्पनी को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह लागू प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दी जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ में दावा–रहित लाभांश तथा अंतरित शेयरों के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त विषय पर किसी प्रकार की पूछताछ के लिये शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मै. अलंकित एसाइन्मेन्ट लिमिटेड, पताः अलंकित हाउस, 4ई/2 झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 से सम्पर्क कर सकते हैं।

एलोफिक इंडस्ट्रीज लि. के लिये
हस्ता/–
तिथिः 18.04.2024 **कंवलदीप सहनी**
स्थानः फरीदाबाद **पूर्ण कालिक निदेशक**

ड्यूश बैंक एजी

डिमांड नोटिस
वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002
(इसके बाद उक्त "अधिनियम")की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

1. ऋणकर्ताओं : ए. एसवी इंडस्ट्रीज, बी. श्री सिद्धार्थ जैन, सी. श्रीमती अनीता जैन,
(ए) आवासीय संपत्तियांः– "आवासीय संपत्ति, बी–2/135, ग्राउंड फ्लोर, जनकपुरी, दिल्ली–110058 वाली संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश, जो निम्नानुसार बटी और घिरी हुई हैः उत्तरः सर्विस लेन 15' चौड़ा ;दक्षिणः संपत्ति संख्या बी–2/135–ए; पूर्वः सड़क 40' चौड़ा; पश्चिमः सर्विस लेन 15' चौड़ा;"
संदर्भ: –संपत्ति पर ऋण, **रु.1,40,50,000/– (एक करोड़ चालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की की राशि के लिए ऋण खाता संख्या 300040121390019**
– जेईसीएल **खाता संख्या 320040121390019, रु.13,99,000/–(तेरह लाख निन्यानबे हजार रुपये मात्र) की राशि**
– रु.3,00,00,000/– (केवल तीन करोड़ रुपये) की राशि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण खाता संख्या 100040121390019

क. जबकि ड्यूश बैंक एजी, जिसका व्यवसाय का एक स्थान भूतल और 14वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) है, ने आपको प्रेषिती , कार्यशील पूंजी और जीईसीएल सुविधा प्रदान की है। उक्त क्रेडिट सुविधा अन्य बातों के साथ–साथ उपर्युक्त अचल आवासीय संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से सुरक्षित है। (इसके बाद "सुरक्षित संपत्ति" के रूप में संदर्भित)।

ख. कि आप, प्रेषिती, ऋण खाते में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं और बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बनाए गए खातों की पुस्तकों के अनुसार **27.03.2024 तक रु.1,87,52,448.89 रुपये (एक करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार चार सौ अड़तालीस रुपये एवं नवासी पैसे मात्र)** और पूर्ण देय राशि की प्राप्ति तक उस पर ब्याज की बकाया राशि मौजूद है।

ग. कथित बकाया राशि के अलावा, आप भविष्य में देय ब्याज और दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं, जब तक कि पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। आप प्रेषिती की ओर से लगातार चूक के कारण ऋण खाते को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर **05 मार्च 2024** को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. उपरोक्त चूक को ध्यान में रखते हुए, बैंक आप प्रेषिती से कहता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत और शुल्क सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें, जिसके विफल होने पर, बैंक निम्नलिखित अधिकारों में से सभी या किसी का प्रयोग करने का हकदार होगा:

i- सुरक्षित संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना।
ii- पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण और सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण के अधिकार सहित उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेना।
iii- सुरक्षित संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करना (इसके बाद प्रबंधक के रूप में संदर्भित), जिसका कब्जा लिया गया है।
iv- किसी भी समय लिखित रूप में नोटिस द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, जिसने सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण किया है और जिसकी ओर से कोई पैसा बकाया है या हो सकता है, बैंक को भुगतान करने के लिए आवश्यक है, जितना पैसा सुरक्षित ऋण के भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।
v- उधारकर्ता, सुरक्षित लेनदार को उस राशि का भुगतान करे, जितना सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।

ङ. कृपया यह सूचित किया जाता है कि बैंक से विशिष्ट पूर्व लिखित अनुमति के अलावा आपको प्रतिभूति सम्पत्ति का लेनदेन करने (स्थानांतरण, बिक्री, पट्टे या अन्य के माध्यम से) या तीसरे पक्ष के हित बनाने या किसी भी तरह से सुरक्षित संपत्ति से निपटने से रोका जाता है। ज्ञात हो कि इसका कोई भी उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों दंडनीय होगा। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम नोटिस है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक आपको निर्दिष्ट किसी भी या सभी अधिकारों का उपयोग करने के अपने अधिकार को पूरी तरह से आपके जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर निर्भर होगा।

च. कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम नोटिस है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक आपको ऊपर दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का उपयोग करने के अपने अधिकार के भीतर पूरी तरह से आप प्रेषिती के जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर निर्भर होगा।

नतांश कु. पाल
दिनांकः 18 अप्रैल 2024 प्राधिकृत अधिकारी ,ड्यूश बैंक एजी,

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IVA) (नियम 8(6))

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात "अधिनियम") के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपर ग्राउण्ड फ्लोर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी ("एओ") ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में वहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का "जहाँ है जैसे है" तथा "जो है वही है" आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
1. श्री हरीश सेठी, 2. श्रीमती हरविंदर सेठी, 3. श्री हरीश सेठी (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10088181)	20 दिसम्बर, 2022 रु. 31,90,434/- (रुपये इकतीस लाख नब्बे हजार चार सौ चौंतीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र)	अविभाजित सम्पत्ति का समस्त भागः प्रथम तल फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड, कारपेट एरिया माप 459 वर्ग फीट, निर्मित संपत्ति वाले प्लॉट नंबर 97 और 98 का 540 वर्ग फीट का सुपर बिल्ट-अप एरिया और खसरा नंबर 759, ग्राम नवादा, ब्लॉक-ए, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059, भारत। (प्लॉट क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट, कारपेट एरिया माप 432 वर्ग फीट, क्षेत्रफल माप 405 वर्ग फीट)	01-जुलाई-2023 दिनांक 10-अप्रैल-2024 तक कुल बकाया रु. 34,40,382/- (रुपये चौंतीस लाख चालीस हजार तीन सौ बयासी मात्र)	रु. 20,80,000/- (रुपये बीस लाख अस्सी हजार मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,08,000/- (रुपये दो लाख आठ हजार मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी की अन्तिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
02-मई-2024 को 11.00 बजे -14.00 बजे	04-मई-2024 को 5 बजे अप. तक	06-मई-2024, 1100 बजे-1300 बजे

भुगतान का माध्यम : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किये जाने हैं। भुगतान करने के लिए आपको **https://www.iiflonehome.com/** पर जाना होगा और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोट : प्रत्येक सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए भुगतान भिन्न-भिन्न है। सुनिश्चित करें कि आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे है।
शेष भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाना है। खाता विवरण निम्नवत हैं : (क) खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, (ख) बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, (ग) खाता नं. 9902879XXXXX इसके बाद प्रॉस्पेक्ट संख्या, (घ) आईएफएससी कोड : SCBL0036001, (ङ) बैंक का पता : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 90, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001

नियम एवं शर्तें :
1. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com/ के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को अपने "निविदा प्रपत्र" ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा।
2. संविदाकार अपने प्रस्ताव "संविदा वृद्धि राशि" के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
3. सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे।
4. क्रेता को सेस, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं दरों, बाह्य व्ययों का वहन करना होगा।
5. संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट https://www.iiflonehome.com/ तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है।
6. अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : auction.hi@iifl.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 1800 2672 499 से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ, सम्पत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन संविदा आदि के लिए आईआईएफएल एचएफएल के टोलफ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार तक 09:30 बजे से 18:00 बजे के बीच कॉल करें या ई-मेल:- auction.hi@iifl.com पर लिखें।
8. एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभूत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सूचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
9. एतद्वारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।
10. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।
11. एओ को बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अन्तिम होगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत 15 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना

एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसूल किया जायेगा।

स्थान : दिल्ली तिथि : 18 अप्रैल, 2024 ह./-अधिकृत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–(एमएच) 400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा।

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को भी पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (तत्कनी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालांकि, डिमांड नोटिस भी है सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (तत्कनी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्रं. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर/सह-गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि
1	**1. अमित मेहता** मकान/प्लॉट नंबर 20–बी, चौथी मंजिल, ब्लॉक–एफ में, आवासीय कॉलोनी जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है, फेज –1। तहसील वजीराबाद, जिलाः गुड़गांव, हरियाणा–122001। **2. रचना दावार** हाउस/प्लॉट नंबर 20–बी, चौथी मंजिल, ब्लॉक–एफ में, आवासीय कॉलोनी जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है फेज– 1। तहसील वजीराबाद, जिला गुड़गांव, हरियाणा –122001। **3. सुरेन्द्र** कुमार हाउस/प्लॉट नंबर 20–बी, चौथी मंजिल, ब्लॉक–एफ में, आवासीय कॉलोनी जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है, फेज–1। तहसील वजीराबाद, जिला गुड़गांव, हरियाणा–122001 **4. विपुल कुमार** हाउस/प्लॉट नंबर 20–बी, चौथी मंजिल, ब्लॉक–एफ में, आवासीय कॉलोनी जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है, फेज–1। तहसील वजीराबाद, जिलाः गुड़गांव, हरियाणा–122001। **5. सुरिंदर कुमार** हाउस/प्लॉट नंबर 20–बी, चौथी मंजिल, ब्लॉक–एफ में, आवासीय कॉलोनी जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है, चरण–द्वितीय, तहसील वजीराबाद, जिला गुड़गांव, हरियाणा –122001। **6. मैसर्स रॉकवर्ल्ड** हाउस/प्लॉट नंबर 20–बी, चौथी मंजिल, ब्लॉक–एफ में, आवासीय कॉलोनी जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है, फेज– 1। तहसील वजीराबाद, जिला गुड़गांव, हरियाणा–122001। **7. अमित मेहता** 1586, दूसरी मंजिल, आउट्राम लाइन, जी.टी.बी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110009 **8. रचना दावार** 1586, दूसरी मंजिल, आउट्राम लाइन, जी.टी.बी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110009 **9.** सोनिजडी 1586, दूसरी मंजिल, आउट्राम लाइन, जी.टी.बी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110009 **10.** विपुलकुमार 1586, दूसरी मंजिल, आउट्राम लाइन, जी.टी.बी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली– 110009 **11. सुरिंदर कुमार** 1586 दूसरी मंजिल, आउट्राम लाइन, जीटीबी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110009 **12. मैसर्स रॉकवर्ल्ड** 1586, दूसरी मंजिल, आउट्राम लाइन, जीटीबी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110009 **13. रचना दावार** हाउस नंबर 952/58, वार्ड नंबर 12, पंजाबी धर्मशाला के पास, जवाहर नगर कैंप, पलवल, हरियाणा–121102 **14. सुरिंदर कुमार,** रामपुरा मोहल्ला, फतेहाबाद, हरियाणा–125050 **15. विपुल कुमार,** रामपुरा मोहल्ला, फतेहाबाद, हरियाणा–125050 **16. सोनिजडी** 2, 2078, 13/11, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110005 **17. मैसर्स रॉकवर्ल्ड** प्लॉट नंबर I–1284, पॉकेट–एन, सेक्टर–3, डीएसआईडीसी बवाना, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली–110039 **18. अमित मेहता** सी/ओ मैसर्स सोनिफाई, 2, 2078, 13/11, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110005 **19. विपुल कुमार** सी/ओ मैसर्स रॉकवर्ल्ड, प्लॉट नंबर I–1284, पॉकेट–एन, सेक्टर–3, डीएसआईडीसी बवाना, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली–110039 **20. सुरिंदर कुमार** सी/ओ मैसर्स सोनिफाई, 2, 2078, 13/11, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110005 **ऋण खाता संख्या lnDelPhl –07210094603 और lnDelPhl – 07210094604**	04–04–2024	12–04–2024	रु. 1,54,42,672.00/– (रुपए एक करोड़ चौवन लाख बयालीस हजार छह सौ बहत्तर मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क सहित) और ब्याज के माध्यम से 10.04.2024 तक
अचल संपत्ति का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्तिः आवासीय मकान नंबर 20–बी, ब्लॉक–एफ, 332.665 वर्ग मीटर की पूरी चौथी मंजिल का वह सारा टुकड़ा और पार्सल मीटर (398.10 वर्ग गज) कवर क्षेत्रफल 199.583 वर्ग मीटर (2148.09 वर्ग फीट), भूमि का 1/4 अविभाजित, आनुपातिक हिस्सा और प्लॉट नंबर–20–ई के लिए समायोजित दाहिनी साइड में स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार पार्किंग स्लॉट, आवासीय कॉलोनी में स्थित है जिसे सुशांत लोक के नाम से जाना जाता है। , फेज– 1। गुड़गांव, तहसील और जिला गुड़गांव अब तहसील वजीराबाद और जिला गुड़गांव, हरियाणा– 122001, और इसकी सीमा पूर्व प्लॉट नंबर एफ–07 पश्चिम सड़क उत्तर प्लॉट नंबर एफ–20ए दक्षिण प्लॉट नंबर एफ–20बी				
2	**1. राम अवतार सिंह** आवासीय मकान निजी भूखंड संख्या 4 और 5 के हिस्से पर निर्मित है, जिसमें खसरा संख्या 421 शामिल है। 422, फूल सिंह नगर, शारदा मंडप के पास, गांव दांतल, परगना/तहसील और जिलाः मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 **2. अमित कुमार** निजी भूखंड संख्या 4 और 5 के हिस्से पर निर्मित आवासीय मकान, जिसमें खसरा संख्या 421 और 422 शामिल है, फूल सिंह नगर, शारदा मंडप के पास, गांव दांतल, परगना/तहसील और जिला मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001, **3. वैशाली** आवासीय घर, निजी प्लॉट नंबर 4 और 5 के हिस्से पर निर्मित जिसमें खसरा नंबर 421 और 422, फूल सिंह नगर, शारदा मंडप के पास, गांव दांतल, परगना/तहसील और जिला मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001, **4. राम अवतार सिंह** 96/1, शास्त्रपुरी, हरि नगर, कांकेर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 **5.** अमित कुमार 96/1, शास्त्रपुरी, हरि नगर, कांकेर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 **6. वैशाली** 96/1, शास्त्रपुरी, हरि नगर, कांकेर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 **7. अमित कुमार** 376/3, गली नंबर 5, सम्मनगर, कांकेर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 **8. वैशाली** 3384, गली नंबर 7, शालीमार गांव, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110088 **ऋण खाता संख्या lnmrtlhl –03210086784 और lnmrtlhl –03210086786**	02–04–2024	10–04–2024	रु. 7,77,412.73/– (सात लाख सतहत्तर हजार चार सौ बारह और तिहत्तर पैसे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (विलंबित शुल्क सहित) और ब्याज के माध्यम से 04.04.2024 तक
अचल संपत्ति का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्तिः निजी प्लॉट नंबर 4 और 5 के हिस्से पर निर्मित आवासीय घर का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, जिसकी माप 170.28 वर्ग गज है। 142.37 वर्ग मीटर, जिसमें खसरा नंबर 421 और 422 शामिल है, गांव में स्थित है दांतल (फूल सिंह नगर), परगना/तहसील और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश– 250001, और इसकी सीमा पूर्व राजवीर पश्चिम का प्लॉट नंबर 3 रु हास्ता 38 फीट चौड़ा उत्तर अन्य दक्षिण की संपत्ति रास्ता 20 फीट चौड़ा				

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमें लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 18.04.2024 **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

www.readwhere.com